an>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill, 2015 (Discussion not concluded).

माननीय सभापति ः क्रम संख्या 57 - संविधान की छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा।

श्री निनोंग इरिंग।

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सबेस पहेल तो मैं विंसंट पाला साहब को, जो उन्होंने सिक्स्थ शिड्यूल के संबंध में यह प्रस्ताव लाया है कि किस प्रकार से इसे और सशक्त किया जाए और इसे कैसे और शक्तिशाली बना सेक, इसेक लिए उन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा कि वे एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आए हैं।

हमोर संसदीय कार्य मंत्री जी का भी मैं आभारी हूं कि कम से कम उन्हौंन हमें शुरूआत तो करेन दी, एक घंटा लेट ही सही। लेकिन, कभी-कभी मैं सोचता हूं कि हमोर पार्लियामेंटरी सिस्टम में आपेक जो बिल्स या प्रस्ताव आोते हैं, उन्हें पारित करेन के लिए जो समय-सीमा है, उसेंम आप ...* करेते हैं, यह गलत बात है। भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी उनसे मैं गुंजाइश करता हूं।

पाला साहब ने इस प्राइवेट मेम्बर बिल को जो हमोर बीच रखा है, अभी मेघालय में जो 30 सीट्स हैं, उन्हें किस प्रकार बढ़ाकर 40 सीट किया जाए। खनन के विÂÂषय में बात यह है कि जिस प्रकार से वहां यूरेनियम है, कोयला है, और बुहत सोर पदार्थों का वहां खनन होता है तो उनकी जो ज़मीनें हैं, उन पर जो अधिकार होता है, वह उनका होता है। इसलिए अगर यहां से संशोधन पारित होता है तो उसकी काउंसिल को यह एक मौका देगा और सशक्त बनेन का, और मज़बूत बनेन का। जो कस्टमरी रूल्स हैं, कस्टमरी लॉज़ हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी जो कानून-व्यवस्था है, हमोर पुरोन ज़मोन के लोग वहां के असली कस्टमरी लॉज़ को महत्वपूर्ण मानेते हैं। जैसे अभी भी अरुणाचल प्रेदश में उन्हें दर्ज़ा देते हैं, श्रेय देते हैं कि कस्टमरी लॉज़ को हमें किस प्रकार से पालन करना होगा।

उसेंम भी यह चर्चा में आया हुआ है। मैंने देखा कि जिस प्रकार से हमोर ऑटोनोमस काउंसिल में, जो हमोर पूर्वोत्तर राज्यों में हैं, जिस प्रकार से उसे घोषित किया गया था, अब उसको शक्तिशाली बनोन के लिए शेर बना दिया गया। वहां के लोकल ट्राइब्ल्स तथा जनजाति किस प्रकार से अपना स्वयं गवेंनस कर सेंक। उसेंम हमेन देखा है कि आपेन एक शेर जैसी चीज बना दी, लेकिन उसेक दांत तथा पेंज निकाल दिए। इस प्रकार से उसेंम पावर ही नहीं रह गया है। आप यहां से जो फंडिंग करेते हैं, जैसे पहली बार आपेन एक हजार करोड़ रूपेय की बात रखी थी, लेकिन इस बार हमेन सुना है कि उसेंम पाँच सौ करोड़ रूपेय की कटौती हुई है। आप इसे देख लीजिए कि इसे सशक्त बनोन जा रेहे हैं या कमजोर बना रेहे हैं। हम चाहेत थे कि जैसे बोडोलैंड, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम में जिस प्रकार से ऑटोनोमस काउंसिल्स हो रेहे हैं।

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, अभी सभापति तालिका में से कोई भी सभापति नहीं है। पंरपरा के अनुसार जो वरिÂÂष्ठ सदस्य होते हैं, वे सभा के आसन पर आोते हैं और सभा का संचालन करेते हैं। अब श्री भर्तृहरि महताब जी सभा का संचालन केंरेंग।

16.52 hours (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री निनोंग इरिंग : धन्यवाद, आपको मुबारक हो। जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा था। हमोर अरुणाचल प्रेदश में दो काउंसिल्स के लिए सिफारिश की गई है, एक मॉन ऑटोनोमस काउंसिल है, जो तवांग और वेस्ट कॉमंग जिले हैं, वह मांग कर रही है और दूसरा पटकाइ ऑटोनोमस काउंसिल है, जिसेंम तीन जिले तिराप, चांगलैंग और लौंगडिंग हैं। जब हम उसेंम देखते हैं कि वहां पर जनजाति है, तो अरुणाचल प्रेदश के बुहत सोर जनजाति हैं। इसलिए, हम भी मांग कर रेहे हैं कि अरुणाचल प्रेदश के जितेन भी जनजाति हैं, अगर जनजाति की तरफ से ऑटोनोमस काउंसिल की डिमांड होती है, तो शायद मैं सोचता हूं कि हमोर जैसे पश्चिम सियांग हैं, पूर्वी सियांग हैं, ऊपरी सियांग हैं, सियांग हैं, दिबांग हैं, लोवर दिबांग वैली हैं, लोहित हैं, अंजाओ हैं और नामसाय हैं। अगर आप इसको चार भागों में कर देते हैं, तो उसेंम कम से कम डायवर्स नहीं होगा और लोगों में जो भ्रम है, वह नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अलग–अलग प्रांत के जनजाति हैं। इसेक लिए एक प्रस्ताव आना चाहिए, एक सिफारिश आनी चाहिए कि एक इस्टर्न पार्ट, एक वेस्टर्न पार्ट और एक मिडिल का पार्ट होगा। इसेंम एक संशोधन पारित किया जाए कि अरुणाचल प्रेदश में भी तीन ऑटोनोमस काउंसिल का दर्जा देने के प्रस्ताव को इस सदन में पारित करना चाहिए।

इस सदन में मेरे एक बुहत अच्छे दोस्त हैं, जो त्रिपुरा से आोते हैं, जहां उनका अपना ऑटोनोमस काउंसिल है। उन्हौंन एक प्रस्ताव दिया था कि हमोर यहां जो चाकमास जनजाति है, चाकमास जनजाति बंगलोदश से आए थे। ये शरणार्थी थे और उनको अरुणाचल प्रेदश में बसाया गया। हाल ही में उनको नागरिकता भी दिया गया। हम उनेक नागरिकता के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात यह है कि वर्ष 1873 बंगाल फ्रंटियर रेग्युलेशन के मुताबिक उस समय अरुणाचल प्रेदश को नेफा कहा जाता था। वहां की जो जनजाति है, उन्हीं को वहां की जमीनों के क्लेम का श्रेय मिलता है। अभी उन्हौंन कहा कि चकमाज को भी अरूणाचल प्रेदश की एक जनजाति के रूप में मानना चाहिए और जो अभी एस्टैब्लिशमेंट है, उसेंम उनको बसाना होगा। मैंने कहा कि जो चकमाज हैं, हम उनेक खिलाफ नहीं हैं। भारत सरकार ने उनको नागरिकता दी, बुहत ही अच्छा है। हम भी स्वीकार करेते हैं, इतेन साल हम उनको शरणार्थी मोने हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं हो कि हमारी जमीन, वहां की नौकरियां, वहां की जो समस्यायें हैं, अभी आप देख सकेते हैं कि हाल ही में उन इलाकों में कानून व्यवस्था की बुहत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हमारी वहां जनजाति की आबादी बुहत कम है, वह जस्ट डबल हो जाती है। उसकी जो एथनिक समस्या है, वह बुहत बड़ी हो जाएगी। अगर चकमा 1 लाख 50 हजार हो जाता है और वहां की जनजाति सिर्फ 30 हजार है, तो वे उसको ओवर पॉपुलेटेड कर देंगे।

अभी मिजोरम में हाल ही में एक चर्चा चल रही है, मिजोरम में उनको एक ऑटोनामी दी गई है, उनको वहां की नागरिकता दी गई है। वहां के बच्चे जब वहां के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेज में एपीयर करेते हैं तो उनका पूरा कोटा ओवर लैप कर देते हैं। जो चकमाज हैं, उनकी जो शिक्षा होती है, उनकी परवरिश सब बाहर होती है, फॉरेन कंट्रीज में भी होती है, क्योंकि they are recognised as refugees through out the world. उसेंम क्या हो जाता है कि हमोर जो स्थानीय लोग हैं, वे उसको कंपीट नहीं कर पोते हैं। यह एक बुहत बड़ा मुद्दा है, बुहत बड़ी एक समस्या हो गई है और हम उसे अरूणाचल में नहीं लाना चाहेते हैं।

जितेन्द्र चौधरी जी ने कहा कि आप उनको स्वीकार कीजिए, उनको दर्जा देना चाहिए। हम तो केंहेंग कि हम उनको पूरा दर्जा देंग, नागरिकता की मान्यता देते हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार कर लीजिए। हमेन उनको 40-50 साल अरूणाचल प्रेदश में शरणार्थी मोने हैं, आप उनको ले जाइए। आप त्रिपुरा ले जाइए, मिजोरम ले जाइए, पूरे इंडिया में उनको फैला दीजिए। अरूणाचल में देना है या उनको वहां बसाना है, मैं उस विषय में टिप्पणी नहीं करूंगा। आप देख सकेते हैं कि आपका एक कानून है, बंगाल फ्रंटियर रेग्युलेशन 1857 में कहा गया है कि जो जनजाति अरूणाचल प्रेदश में उस समय बसी है, जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं, उन्हीं लोगों का वहां रहेन और वहां की सुविधा लेन का हक होता है। इस चीज को मैं इस सदन में व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि चकमा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह इतना गंभीर विषय है कि हमको वे ओवर पॉपुलेटड कर देंग।

आप देख सकेते हैं कि जो अरूणाचल प्रेदश है, उसका एरिया 83,000 वर्ग किलोमीटर है, इक्वेवेलेंट टू असम, लेकिन आबादी उसेंम सिर्फ 11 लाख है। यह जो चकमाज हैं, अभी उनकी आबादी जब पहेल आई थी, तब करीब 20 हजार थी। अभी अनऑफिशियल फिगर्स में दो लाख तक पुहंच गए हैं। आप सोचिए कि अगर गेजुअली इनको पूरा दर्जा दे देते हैं, तो बांग्लोदश के जितेन चकमाज भी आ जाएेंग और चोह वह मिजोरम के हो, त्रिपुरा के हो, क्योंकि अरूणाचल में जमीन है, वहां वे सब जाकर बस जाएेंग और वहां के जो स्थानीय नागरिक या जनजाति हैं, उन पर बुहत निगेटिव ईंपेक्ट होगा, एथनिक ईंपेक्ट होगा। जिसेंम शायद हम अपनी आईडेंटिटी खो देंग। इसलिए जो चकमा का इश्यू है, इसेंम हमोर जो वहां के स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशंस हैं, वहां की जितनी जनजाति हैं, वे सब इसका विरोध कर रेहे हैं। जो सिक्स्थ शेड्यूल में हमें बोलेन का मौका मिला है, तो मैं यही कहूंगा कि जो चकमा इश्यू है, इसको पूरी तरह से भविÂष्Âय के लिए सोचना पड़ेगा।

एक और समस्या हमोर यहां आती है। हमोर यहां कुछ जनजाति तिराप, चांगलांग और लौंगडिंग में हैं। उसेंम जैसे उनको दर्जा दिया जाता है,नाक्ता, योबीन, युत्का, टांगसा, वांचु और टुंगल ये पांचों जनजाति अरूणाचल में बुहत पहेल से बसी है और अरूणाचल के ही नागरिक हैं। लेकिन उस समय जब संशोधन हुआ था, जब शिड्यूल बनाया गया था, उस समय उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था,

उस समय उनको अदर नागा टाइप का दर्जा दिया गया, नागालैंड के जो जनजाति हैं हम उनके खिलाफ नहीं बोलते, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बहस भी किया है, जो अल्ट्राज हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप नागा के खिलाफ क्यों हैं। मैंने कहा कि मैं किसी भी जनजाति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर आप अपने आप को टांगुल कहते हैं, सेमा कहते हैं, अंगामी कहते हैं, हमारे यहां के जनजाति को किस नाम से दर्जा देंगे। उनकी भी एक जाति होनी चाहिए। उनको आप सिर्फ अदर नागा ट्राइब्स बोल कर नहीं रह सकते। जब यूपीएससी में हमारे यहां के बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप किस जनजाति के हैं, तो उनको बहुत मुश्किल होता है, वह अदर नागा ट्राइब्स हैं, What other Naga tribes? Are you a Sema? Are you a Tangkhul? Are you an Ao? Are you an Angami?

उसका कंपिटिटिव एग्जाम में भी नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाता है, चाहे केन्द्र सरकार की नौकरी हो या स्लेव की हो या आर्मी की हो या पैरामिलिट्रीज की हो, सभी जगह उसको रिजेक्ट किया जाता है। इस विÂाय में मैंने कई मंत्री जी को भी कहा है, जुएल ओराम साहब को पिछले समय से जब मैं अरूणाचल प्रदेश में एमओएस था, उस समय वह यहां मंत्री थे, उस समय हमने भी इस प्रस्ताव दिया था, उसके बाद यूपीए की सरकार आई, फिर भी उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ, आप जरा सोचिए, हम इसके लिए 40 साल से लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक वह दर्जा नहीं दिया गया।

17.00 hours

इस बार रजिस्ट्रार का लिखा हुआ पूरा हो गया है, इस बार हम सोच रहे थे कि इस सत्र में पारित हो जाएगा, ये लोग दुख तकलीफ में जी रहे हैं, उनको पांच दिन-सात दिन पैदल मार्च करते हैं और सांप के बीच में रह रहे हैं, उनको भी एक इंसानियत के रूप में मान्यता देना चाहिए। दो साल पहले वर्ष 2015 में दो गोपनीय बात निकली थी जिसका जिक्र शायद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी है। यूपी के चुनाव में उन्होंने लोगों से कई बार पूछा कि एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत गुप्त बात है, बाहुबली को कट्टपा ने क्यों मारा? उस सवाल का जवाब मिल गया, क्यों बाहुबली को कट्टपा ने मारा, लेकिन अभी भी दूसरा गोपनीय चीज अरूणाचल प्रदेश के लिए है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी है।

केन्द्र सरकार और नागालैंड के एनएससीआईएन के बीच में एक समझौता हुआ था और वह अभी भी गोपनीय है। अब दो हाल हो चुका है और किसी को भी पता नहीं है। गृह राज्य मंत्री हमारे अपने इलाके के हैं। मैंने उनसे पूछा, What is that accord? क्या अरूणाचल के नागा डोमिनेटड एरिया को देंगे या मणिपुर के डोमिनेटड एरिया को देंगे, असम के डोमिनेटड एरिया को देंगे, उसमें चर्चा होती है लेकिन कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने समझौता किया है उसका श्रेय हम आपको देते हैं, यह अच्छी बात है लेकिन एनएससीआईएन और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ है तो अस्पा की अरूणाचल प्रदेश में क्या जरूरत है या नागालैंड में क्यों जरूरी है या मणिपुर में क्यों जरूरी है? उसमें जो समझौता था कि जो अंडरग्राऊंड लोग वे ओवरग्राऊंड आना चाहते हैं। उसमें समस्या ही नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश तो वैसे भी पीस लविंग स्टेट है। वहां लोगों पर फाल्स एनकाउंटर में अैटक होता है। एनएससीएन वाले मसले को ही सुलझा दिया है तो एसमा क्यों जरूरी है? इसे क्यों लागू करना है? यह तो ऐसा ड्रकोनियन लॉ है कि इसे हटा देना चाहिए। It should be repealed. मैं तो यही कहूंगा कि एएफएसपीए को रिपील करना चाहिए और उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें दूसरे लोगों का एडवोटेज मिलता है। माननीय मंत्री जी का अरुणाचल प्रदेश के विÂÂषय पर बहुत तजुर्बा है, We have to appreciate him also. उनका बहुत कन्ट्रीब्यूशन है।

HON. CHAIRPERSON: You can move ahead to the next point. You have already taken 20 minutes. It is all right. Move ahead.

SHRI NINONG ERING : I will not take much time because we have already spent one hour and there are other speakers also. मैं अब कर्म की बात कहना चाहूंगा। मैं कभी उत्तेजित हो जाता हूं, अभी चीन की समस्या की बात हुई है, It is not connected with the 6th Schedule. लेकिन जब जनजाति की बात आती है, चीन में भी वैसे ही लोग हैं जैसे हमारे यहां हैं। वहां चीनी भाषा बोलते हैं। डुद जाति है, यहां भी है। वहां बोकार है, यहां भी बोकार जाति है। वहां अपनी भाषा बोलते हैं, यहां भी अपनी भाषा बोलते हैं लेकिन वहां के लोग चीनी बोलते हैं और यहां के लोग हिन्दुस्तानी बोलते हैं, हिन्दी बोलते हैं और इसी से पहचाने जाते हैं कि वह चीनी है या इंडियन है। कई बार उनको पकड़कर दिल्ली तक लाना पड़ा है, They had to be taken back to China. आप उस इलाके के

लिए कुछ सोचिए। आप विश्वास नहीं करेंगे पांच-सात दिन तक चलना पड़ता है। विजयनगर एक जगह है, जहां योबिन्स रहते हैं, वहां कितने कÂट में आना पड़ता है। सात दिन जाने में और सात दिन आने में लगते हैं। जब वहां से लोग आते हैं तो कभी-कभी बीमारी में देहांत हो जाता है और उनका अंतिम क्रियाकर्म भी रास्ते में ही करना पड़ता है। That is so unfortunate. हम किस आधुनिक युग में हैं, इसे भी सोचना चाहिए।

यद्यपि सम नहि राग न रोÂखू

गहहि न पाप पुण्य गुन दोÂखू।

करम प्रधान बिस्व करि राखा

जो जस कैर सो तय फल चाखा।

यहां पर हम जैसे सब सांसद हैं इसलिए हमारे लिए भी सोचिए। मैं यूपीए सरकार, एनडीए सरकार के लिए नहीं कहूंगा, वहां के लोगों के लिए कहूंगा। आप कहते हैं कि हम चीन के साथ लड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वहां क्या पोजीशन है? यहां माननीय मंत्री, हमारे छोटे भाई आ गए हैं। आप मेलन में जाइए, आप किबितु में जाइए, चकलाहम में जाइए, तवांग में जाइए। About Tawang, we can say that it is slightly updated. आप इसके खिलाफ हैं, हमेशा इस मुद्दे को लेते हैं, वहां बोफोर्स गन नहीं होती तो उन इलाकों में कोई और बंदूक ही नहीं चल सकती है। आप टैंक की बात कह रहे थे कि आप लोगस्ट ब्रिज पर टैंक चलाएंगे। आप जानते हैं कि अनिनी कहां है, रोइंग कहां है, मायुडिया कहां है, ये सब पर्यटक जगह हैं। यहां के लोग अभी उभरकर आए हैं, अभी समय लगेगा। But you have to give them respect; you have to give them some love and affection.

मेरा कहना है कि अगर वहां ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसे लोग कितने दिन तक सह सकेंगे? ऐसा न हो कि हमारे प्रिय दोस्त और छोटा भाई किरन रिजीजू, जो यहां बैठे हैं, हम दोनों अलग हो जायें। आज छोटे-छोटे राज्य गोरखालैंड, बोडोलैंड, त्रिपुरा, जो हमारे एक जिले के समान भी नहीं हैं, एक अलग राज्य मांग रहे हैं। अगर वे अलग राज्य मांगते हैं तो हम क्या अरुणाचल को 50-50 नहीं मांग सकते? हम भी मांग सकते हैं, क्योंकि वहां कोई विकास नहीं हो रहा है, रोड्स नहीं बन रही हैं। आप वहां जाकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन लोगों की दुख-तकलीफ दूर नहीं हो रही। जो लो सीमाओं में आर्मी के साथ रहते हैं, वे भारत की अखंडता और एकता को आगे ले जा रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जितने राष्ट्रवादी हैं, उतने शायद भारत में कोई नहीं होंगे। हम अभी भी लोगों को जय हिन्द कहकर पुकारते हैं। अब जयहिन्द का मतलब है कि हम भारतीय नागरिक हैं। अब चाहे चीन आये, पाकिस्तान आये या कोई भी देश आये, हम उनसे लड़ने के लिए आपके, आर्मी, जवान और फौजियों के साथ हैं।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि विन्सेंट एच. पाला जी जो सिक्स्थ शेड्यूल का प्रस्ताव लाये हैं, उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। इसे और शक्तिशाली बनाना होगा। हमने जो मोन डिस्ट्रिक्ट, पटका रीजन और एक अलग सैंट्रल अरुणाचल का प्रस्ताव रखा है, उसमें भी सिक्स्थ शेड्यूल लागू करना चाहिए, ताकि वहां के लोग अपने विकास के कार्यक्रम को स्वयं आगे बढ़ायें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, आज हम लोगों के लिए यह सुखद है कि वरिष्ठता और विद्वता के आधार पर आप पेदन सभापति के आसन पर विराजमान हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं।

सभापति महोदय, आज निजी विधेयक पर चर्चा चल रही है, जो संविधान की छठी अनुसूची संशोधन से संबंधित हमारे सम्माननीय साथी विन्सेंट एच.पाला जी द्वारा लाया गया है। इस चर्चा में हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। यह विधेयक, जिस पर चर्चा कराई जा रही है, आदिवासी से संबंधित है, जो भारत के 12 करोड़ लोगों से विशेÂष सम्बन्ध रखता है।

जैसा कि इस बिल में उद्धत है कि जब आदिवासी शब्द आता है, अगर उसे परिभाषिÂत किया जाय, तो आदिकाल से जिसकी बसावट हो, वही आदिवासी है। आदिकाल से बसावट पर चर्चा शुरू होगी, तो हम सब आदिवासी थे। उस समय स्कूलों की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, मानव की सभ्यता आज की सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। जब भी मानव का सृजन हुआ, वह प्रकृति के किनारे हुआ, चाहे वह जंगल, पहाड़, नदी या जो भी प्रकृति से संबंधित क्षेत्र रहा हो। उनके ही किनारे मानव सभ्यताएं पैदा और विकसित हुईं। ज्यों-ज्यों मानव का विकास होता गया, त्यों-त्यों उस पर आधिकारिक प्रयोग करने के लिए नेय-नेय संविधान, नियम और कानून बने। जब संविधान परिभाषित नहीं था, तब भी संविधान एक था। आज अगर परिभाषित संविधान में जितनी धाराएं लागू की गयी है, क्या वह उस संविधान का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है? संविधान में यह प्रावधान है कि धारा 302 के मुजरिम को फांसी की सजा हो जाय, तो क्या फांसी इस देश में नहीं हो रही है या हत्या होना बंद हो गयी है? ऐसी बहुत सारी धाराएं जो आज भी लागू है, जिन पर कठोर नियम है, उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है।

जब हम इस पर चर्चा करते है तो हमें मानव सभ्यता के इतिहास को भी दखना पड़ता है और मानव सभ्यता का इतिहास यह है कि जब से मानव का सृजन हुआ, मानव एक ऐसा प्राणी है कि चींटी से लेकर हाथी तक पर उसका आधिपत्य है। व्हेल मछली विश्व का सबसे बड़ा प्राणी या जलचर है, उस पर भी मानव ही आधिपत्य स्थापित करता है, क्योंकि मानव के पास अपना विवेक और ज्ञान है। जब ज्ञान पर अतिक्रमण हुआ, सभ्यता और संस्कृति पर अतिक्रमण हुआ, तभी कहीं न कहीं मांग के रूप में संविधान बने, चाहे वह आज का संविधान हो या ब्रिटिश औपनिवेशिक संविधान हो। आज यह जो चर्चा हो रही है, इस पर हमारे साथी बोल रहे थे, मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं मुगलकाल को छोड़कर, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में आता हूं और जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य यही था। भारत की भारतीयता, महान संस्कृति, यहां के प्रकृति प्रेमी लोगों की चर्चा, भारत के जंगल, पहाड़ और वनों से आच्छादित भूमि और लोगों के बीच की सभ्यताएं, उनके ज्ञान, उनका जड़ी-बूटियों का ज्ञान आदि सारी चीजों की पूरे विश्व में जब चर्चा हुई तो कहीं न कहीं उनसे प्रभावित होकर टॉमस रो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया। उस समय यहां जहांगीर का शासन था।

उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ फ्रांसीसी लोगों ने बताया कि भारत एक ऐसा देश है, जहां प्राकृतिक विरासत है। उस समय मसाले बहुत होते थे और वे उसी क्षेत्र में होते थे, जिनको आज आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है। उस प्राकृतिक विरासत को लालच भरी नजरों से दखकर वे यहां पर आए। उस समय उनके मन में एक कौतूहल आया कि पहले हमें यहां व्यापार के माध्यम से प्रवेश करना है। वे लोग व्यापार के माध्यम से यहां आए। जैसा आप सभी जानते है कि उसके बाद लार्ड क्लाइव के नेतृत्व में चार हजार लोग ही आए और उस समय भी इस देश की आबादी लगभग 30 से 35 करोड़ थी, लेकिन उस समय पूरे देश में एक ऐसी स्थिति आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारी जमीनों पर, वन आच्छादित क्षेत्रों पर, हमारे लोगों पर चाहे वे आदिवासी लोग रहे हों या उनसे थोड़ा अलग रहे हों, उन सभी पर मानसिक रूप से कब्जा करना प्रारम्भ किया।

उन पर मानसिक रूप से कब्जा करने के बाद उन लोगों ने हमारे भौगोलिक संसाधनों पर कब्जा किया। जो उस समय हमारे धनाढय वर्ग थे, उनको आपस में एक-दूसरे से उलझाकर उन पर कब्जा करना प्रारम्भ किया और फिर जब वे यहां पूर्ण रूप से काबिज हो गए, तो अपने औपनिवेशिक शासन को बढ़ाने के लिए और उसे चलाने के लिए उन्होंने कर लगाने की व्यवस्था की। करों की व्यवस्था लागू करने के लिए उस समय वह एक क्राउन प्रणाली लेकर आए। इसमें उनकी वह छिपी हुई योजना थी, जिसमें आगे चलकर रेगल प्लान के नाम से छिपा हुआ रहस्य था। इसे रेजिनाल्ड कूपलैण्ड की रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने दखा कि ये आदिवासी लोग प्रत्यक्ष कर नहीं द सकते है, क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी लोग थे, हमेशा जंगलों और पहाड़ों के बीच रहते थे, इसलिए कैसे उनके ऊपर हम कर न लगाकर भी, उनकी जो मूलभूत पूंजी है, उनके जो मूलभूत अधिकार है, उन पर कैसे आक्रमण करें। इसका प्लान रेजिनाल्ड कूपलैण्ड के माध्यम से तैयार किया जाता है। उस प्लान के अन्तर्गत औपनिवेशिक शासन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया। फिर उसमें जब बात आगे बढ़ती है तो उन प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों को आगे पश करते है, कबीले और आदिवासी मुखियों की मध्यस्थता के माध्यम से यह काम किया जाता रहा। उस समय भारत सरकार के अधिनियम संख्या 151 के अनुसार उन्हें पिछड़ा क्षेत्र के रूप में एक मान्यता दी जाती है और उस मान्यता के आधार पर वर्ष 1935 की ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत सरकार ने वर्ष 1935 में उन्हें आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में बदल दिया।

इस समस्या की शुरूआत यहां से होती है कि उनको बहिÂष्कृत क्षेत्रों में बदल कर फिर अघोषित रूप से उनकी मूलभूत पूंजी पर अतिक्रमण की व्यवस्था कर दी गयी। उस समय की जो बेशकीमती जड़ी-बूटियां थीं, उस समय बहुत ही चालाकी और कुटिल दृष्टि से वे उनको छोड़ देते है, क्योंकि वे प्रकृति प्रेमी रहते है। वे ऐसे प्रकृति प्रेमी रहते है कि जब हम आदिकाल की बात करते है तो बरबस ध्यान जाता है कि जो प्राचीन काल था, जब सभ्यता जन्म लेती है, हम सभी के लिए यह गर्व का विषय है कि भारत के 13 टुकड़े किये गये है, जब हम भारत के इतिहास को आदिकाल से अध्ययन करते है, प्रमाणों के आधार पर अध्ययन करते है तो उसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इसके 13 टुकड़े किये गये है। हम अपनी उस विरासत को दखते है तो आज अतिक्रमण करके और जब उस समय औपनिवेशिक काल आगे बढ़ता है तो वे डायरेक्ट कर न लेकर, वहां के जंगलो, खदानों, पहाड़ियों, जड़ी-बूटियों पर अप्रत्यक्ष रूप से वहां के लोगों को बहिष्कृत कॉलोनी में डाल कर उस पर अतिक्रमण करना शुरू कर देते है। समस्या की शुरुआत वहां से हुई। जब समस्या की शुरुआत वहां से हुई तो आज जिस पर चर्चा की जा रही है, अगर परिचर्चा को और पीछे ले जांय, जब वाकई हमारा आदिकाल था तो आदिकाल में एक सभ्यता मानव सभ्यता थी। जब एक धर्म था, वह राजधर्म और राष्ट्रधर्म था। जब राष्ट्रधर्म था और आज जब भी इसकी चर्चा होती है, तो कुछ लोगों ने इस देश में न जाने कौन-सा इतिहास पढ़ा है, उन्हें साम्प्रदायिकता की बू आ जाती है और जब राजधर्म था, राष्ट्रधर्म था और उस धर्म के अधिÂष्ठाता के रूप में, उस धर्म पुरोधा के रूप में एक व्यक्ति का नाम आता है और वह नाम राजा राम का नाम है। राजा राम का जब इतिहास दखा जाता है, तो वह इतिहास आदिवासियों से शुरू होता है। 13 वर्ष के राजा राम उस समय राजकुमार राम के रूप में अपने पिता के ओदशों का पालन करने के लिए जब वे आदिवासी क्षेत्रों में निकलते है, वनवासी क्षेत्रों में, गिरवासी क्षेत्रों में उस समय उन्होंने वनवासी क्षेत्र के लोगों को गले से लगाया। उस समय रुढ़िवादिता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, अगड़ों-पिछड़ों की बात की जा रही है, उस समय केवल एक धर्म था और वह राजधर्म था, राष्ट्रधर्म था, जबे केवल उजड़ों के धर्म का पालन करते हुए, उस समय के आदिवासी लोगों को भरपूर मान्यता देने का काम किया। जिस मान्यता से हम संसद में चुनकर आए है, उस विचारधारा को अंगीकार करते हुए ईमानदारी से लागू किया है।

हमारा संविधान पंथनिरेपक्ष है। कुछ लोग पंथनिरेपक्ष को भी धर्म से जोड़ देते है, जबकि धर्म और पंथ की संविधान में अलग से व्याख्या की गई है। उस समय की जो परम्परा थी, उस राजधर्म के आधार पर राजा दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान राम वनवासी, गिरवासी लोगों के बीच में जाते है, मिलती का झूठा बेर खाते है कि वह उनकी आदिवासी माँ थीं। उनका जूठा बेर खाकर उनको पूरा अधिकार देते है कि नहीं इस बेर पर, इस पहाड़ पर, इस जंगल पर, आपका ही अधिकार है। हमारी यह परम्परा बहुत पुरानी रही है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे है। जब हम उन्हें अधिकार देते है तो उस समय कोई राजा-रजवाड़ा सहयोग नहीं करता है। उस समय यही आदिवासी लोग जो भोले-भाले लोग है, यही गिरवासी लोग जिनका मस्तिष्क, हृदय साफ रहता है, वही उनकी सहायता भी करते है और तमाम संघर्षों के बीच से राष्ट्रधर्म के रूप में राजा राम की जब मान्यता प्रदान करते है, उस समय दुनिया में एक धर्म था, एक जाति थी, उस समय देखा जाए तो मानवता ही जाति थी, मानवता ही धर्म था और ऋग्वेद की ऋचाओं को भी जब हम उद्धृत करते है तो उसमें भी कहीं जाति व्यवस्था का जिक्र है, तो वह केवल मानवता ही थी। मानव और मानवता की जब बात करते है, उस समय हमारा मस्तक गर्व से ऊपर उठ जाता है कि हम भारत के रहने वाले लोग है।

हमारे आदिवासी क्षेत्र की क्लाइमेट कंट्रोल की जैसी परम्परा रही है, हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय नेरन्द्र भाई मोदी जी जब पेरिस में लगभग 153 देशों के साथ सबसे आगे बढ़कर समझौते पर हस्ताक्षर करते है, वह समझौता क्लाइमेट कंट्रोल का था। जब पर्यावरण बचाने की बात आती है तो यही असम, यही मिजोरम, यही नागालैंड, यही अरूणाचल प्रदेश, यही सिक्किम आदि प्रदेश सबसे बड़ा योगदान उसमें निभाते है। आज भी वे क्षेत्र प्रकृति खूबसूरती से परिपूर्ण है। वे क्षेत्र आज भी प्रकृति प्रेमी व्यक्तियों को आकर्षित करते है। इस आधार पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने उन क्षेत्रों को अपना कर सबका साथ, सबका विकास करने के साथ-साथ वसुधैव कुटुम्बकम की एक नई परिभाÂषा लिखने में सशक्त हस्ताक्षर करने का काम किया है। वसुधैव कुटुम्बकम की परिभाÂषा थी कि आज ग्लोबल विलेज की भी चर्चा शुरू हो गई। यह प्रथा हमारे यहां बहुत पुराने समय से थी, जब इन्हीं आदिवासी लोगों द्वारा स्थापित कानून और संविधान था। इसे आगे बढ़ाकर जब प्रधान मंत्री जी 153 देशों के साथ हस्ताक्षर करके आगे आते है और फिर हम अपने आपको प्रमाणित करते है कि हम राष्ट्रधर्म और राजुपरुÂष भगवान राम का आदिवासी और गिरवासी के प्रति जो प्रेम का सिद्धांत था, उसमें कल भी कायम थे और आज भी कायम है। उस प्रेम को आगे बढ़ाते हुए संविधानिक ढांचे के रूप में दखते है, तो देश के प्रधान मंत्री की स्पष्ट नीतियां सामने आती है। जबे रेल बजट आता था, उस समय बहुत-से सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। लगभग चार हजार करोड़ रुपयों से ऊपर का बजट देकर इन्हीं आदिवासी और वनवासी लोगों के विकास की नई आधारशिला रखने का प्रयास

किया है।

अभी हाल ही में हमारे सम्मानित देश में संविधानिक राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ। पूर्वांचल के अरूणाचल और मिजोरम तथा नागालैंड के कई सदस्यों ने हमारी सरकार के मुखिया को धन्यवाद दिया कि हमारे यहां वोटों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी हमेंने वोट देने के लिए कहा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं और इन भौत भाते लोगों ने, प्रकृति प्रेमी लोगों ने अपना प्रमुख योगदान दिया। इन्होंने आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया है।

अधिÂष्ठाता महोदय, आप कटक से ओते हैं। जब कटक की बात आती है, तो नेताजी सुभाÂष चन्द्र का नाम बरबस जुबान पर आ जाता है। आज जिस विÂषय पर चर्चा हो रही है कि उनका खनिज पदार्थों पर भी अधिकार होना चाहिए। उनका वन आच्छादित क्षेत्रों पर अधिकार होना चाहिए। विश्व के इतिहास में पराजित हुई सेनाओं का पुनर्गठन करके अगर किसी एक योद्धा ने किसी लड़ाई को अंजाम दिया है, तो नेताजी सुभाÂष चन्द्र बोस ने दिया है जो असम से बर्मा की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं, तो इन्हीं लोगों ने, जिनके बारे में आज चर्चा की जा रही है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, eight hours' time that was allotted for discussion on the Bill is almost exhausted. As there are eight more Members to take part in the discussion on the Bill, if the House agrees, the time for discussion on the Bill may be extended by one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time is extended by one hour.

श्री शरद त्रिपाठी: जब इस विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान आदिवासी लोगों पर जाता है। यदि वर्ष 1943 के इतिहास को देखा जाए तो असम के लोग, मिजोरम के लोग, नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश के लोग, जो पहाड़ों के बीच रहते थे, जो नदियों झरनों के बीच रहते थे, जिनेंह खदानों की परिभाÂषा भी नहीं पता थी, लेकिन मानवता की परिभाÂषा उनेंह पता थी। उनेंह पता था कि वे भारतीय हैं और भारत की आजादी के मतवाले का साथ देना है। उन्होंने साथ दिया था। उस समय बाढ़ आ गई, प्रकृति ने भी उस समय साथ नहीं दिया। नहीं तो वर्ष 1947 का इतिहास जो है, वह इतिहास वर्ष 1943 में हो जाता। विश्व की 9 देशों की सरकारों ने स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उनेंह मान्यता भी प्रदान कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले अंडमान-निकोबार पर कब्जा करने का काम किया।

जब हम इतिहास में जाते हैं, तो बरबस यही विषय सामने आता है कि आदिवासी-गिरिवासी लोग कितने महान लोग थे। उनकी कबिलाई पद्धति में भी उनकी महानता थी। वे अपने समाज-देश-संस्कृति के प्रति दृढ़ थे। यदि हम उसको आज के सैंधानिक ढांचे में मान्यता देना प्रारम्भ करें, तो यह शृंखला बहुत लम्बी हो जाएगी। जब शृंखला आगे बढ़ेगी, तो जैसे बोडोंलैंड की बात हुई, इससे आगे शृंखला बढ़ी तो संरक्षणवाद की बात भी आयी, उसमें बहुत-सी बातें आएंगी। इसका समाधान एक ही है कि हम फिर से भारत की भारतीयता पर भरपूर चिन्तन कर लें, उस पर एक बार अध्ययन कर लें तो जो इस चर्चा का विषय है, जो चीजें इस चर्चा में आयी हैं, उनका निराकरण हो जाएगा और ऐसा हुआ भी है।

जब-जब हम आदिवासियों की बात करते हैं, तो एक नया इतिहास और गौरवशाली इतिहास उन आदिवासी-वनवासी लोगों को देखने को मिलता है। राजस्थान के एक क्षेत्र में आज भी कुछ जनजातियाँ रहती हैं। हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ते हैं, तो उसमें राणा सांगा की बात आती है और कुछ पंक्तियाँ बरबस याद आ जाती हैं- " अस्सी घाव लगा था तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में।" यह किसके लिए कहा गया था। उस समय के जनजाति लोग ही उनको राजा बनाकर उनको स्थापित किये थे और उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई के लिए, उनके राष्ट्र धर्म की लड़ाई के लिए, उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जब उन्होंने युद्ध किया था, तो उन्हीं लोगों ने उनके घावों पर जड़ी-बूटी लगाकर उसे ठीक किया था। उसी समाज के लोगों ने राणा प्रताप की अगवाई में एक नेय अधिकार की लड़ाई लड़ी, भारत के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, तो जो खदानों के बीच में रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, वे अपनी जड़ी-बूटियों के ज्ञान से उनका भी साथ देते हैं। इतना ही नहीं, जो कुछ उनके पास खजाना था, उसे भी अर्पित करके भारत के स्वाभिमान के साथ खड़े होते हैं।

अभी श्री निनोंग इरिंग जी यहाँ पर नहीं हैं। मुझे अरूणाचल प्रदेश जाने का अवसर मिला। यह सुनकर आज भी हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को भारत के अन्य भू-भागों में उतना जश्न नहीं मनाया जाता होगा, जितना अरूणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वहाँ के लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के अवसर को एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। आज मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने आज भी इन दोनों दिवसों को एक त्योहार की मान्यता प्रदान किये हुए हैं। वे यही आदिवासी-गिरिवासी लोग हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, उस क्षेत्र में 26 जनजातियाँ हैं। वहाँ प्रत्येक जनजातियों के अपने कबिलाई नियम हैं, अधिनियम हैं और उसी से वे शासित करते हैं। यदि उसमें कोई थोड़ा भी व्यवधान उत्पन्न करता है, तो ये लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है, जब भारतीयता की बात आती है, तो सबसे अधिक गुणगान वे भारत और भारतीयता की करते हैं। वे लोग चीन से सेट भागों में हैं, फिर भी वे भारत का ही गुणगान करते हैं। चाहे वे असम के हों, सिक्किम के हों, मिजोरम के हों, नागालैंड के हों, उनकी स्थानीय स्तर पर अलग-अलग समस्याएँ हैं, लेकिन आज उनसे पूरे भारत के लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जब कभी भी इन भौत-भाते लोगों के स्वाभिमान को छेड़ा गया है, तभी उन्होंने अलग मांग रखी है। नहीं तो, उनकी मांग हमेशा एक राष्ट्र, एक हिन्दुस्तान, एक संविधान और एक विधान की रही है। वे स्वयं दाता प्रकृति के लोग हैं, क्योंकि नेचर और सिन्नेचर इस सृष्टि में स्थायी है। जब-जब कोई प्रकृति के साथ रहा है, तो प्रकृति उसको आगे ले गयी है।

यदि इतिहास को देखा जाए। आज यहाँ पर बलूचिस्तान की बात भी आयी थी। वहाँ पर एक "ऊझा घाटी" है। उस घाटी में आज भी एक ऐसी प्रजाति है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके अधिकारों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके कबिलाई सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम उनको खदानों में स्थान दें, कैसे उनको जंगल-जमीनों में स्थान दें, तो जब हम विश्व-इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो यह जानकर हमें सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे नॉर्थ-ईस्ट के लोग, जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से वहाँ की समस्याओं से ग्रसित हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों द्वारा वोट की राजनिति के आधार पर, जैसा कि इसमें उद्धृत है, चूंकि उसकी चर्चा हमारे विद्वान साथियों ने विभिन्न प्रकार से की है। हमारे बहुत से विद्वान साथियों ने इसकी चर्चा बहुत तरीकों से की है, इसलिए मैं उस चर्चा से अलग, उसके भाव पर जा रहा हूँ। उसके ऊपर सैंधानिक दृष्टिकोण से चर्चा की गई है, लेकिन जब हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें उसके भाव का पता चलता है।

अधिÂष्ठाता महोदय, हमें बलूचिस्तान में भी देखने को मिला कि वहाँ एक "ऊझा घाटी" है। जब मैंने उस "ऊझा घाटी" के इतिहास को देखा, तो पाया कि 103 वर्षों पहले विगत 200 वर्षों तक वहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। 65 वर्ष की अवस्था में भी आज वहाँ की हमारी माताएं-बहनें प्रेग्नेंट होती हैं। जब हमेंने उसे और गहराई से देखा, तो पता चला कि आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा जो स्थापित मान्यताएँ थीं, जो प्रकृति प्रेम था, जो प्रकृति से आच्छादित रहन-सहन-चलन और खान-पान का तरीका था, उसी का आज वे लोग पालन कर रहे हैं। वे इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज हम पीने के पानी के लिए आर.ओ. सिस्टम पर आ चुके हैं। आर.ओ. सिस्टम पर आने के बाद हमेंने कहा कि अब हमें प्रिंग-वॉटर चाहिए। प्रिंग-वॉटर के जरिए आज हम फिर से अपनी उस पुरातन आदिवासी संस्कृति पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि झरने का पानी सबसे उपयुक्त है। यह झरने का पानी हमारे नॉर्थ-ईस्ट और बाकी के आच्छादित क्षेत्र जैसे जंगल, खाद्यान और पहाड़ों में बहुत पहले से प्रयोग हो रहा है।

अधिÂष्ठाता महोदय, जब हम इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, तो हमारे सामने सिर्फ एक ही बात आती है कि आज जिस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस चर्चा में एक विशिÂष्ट स्थान ज्ञान का था। हम उस ज्ञान के बल पर पूरे विश्व में अपना एक आधार रखते थे। उस ज्ञान के जरिए पूरे विश्व के प्रति हमारा एक दृष्टिकोण होता था। विश्व के सभी लोग हमारे उस ज्ञान का अनुकरण करते थे। यह आदिकाल की बात हो रही है। यह चर्चा करीब बारह करोड़ आदिवासियों से संबंधित है। जब आदिकाल और आदिवासियों की चर्चा होती है, तो विशाल भारत की चर्चा उसमें से अपने आप निकल आती है। उस विशाल भारत में ऐसी चीजें थीं, जो आज हमारे पास नहीं हैं, जैसे तक्षशिला, दक्षिण भारत की एक यूनिवर्सिटी और ऐलग्जेन्ड्रिया यूनिवर्सिटी थी, जो अरब से संबंधित थी। ये तीन यूनिवर्सिटीज़ ज्ञान का खजाना थीं, जिनमें सबसे बड़ी दो यूनिवर्सिटीज़ मेरे क्षेत्र में थीं। वे दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ प्रकृति पर आधारित ज्ञान के आधार पर चलती थीं।

अधिÂष्ठाता महोदय, उस समय कोई डिग्री दिए जाने का चलन नहीं था। उस समय तो सिर्फ प्रकृति द्वारा पोÂिषत ज्ञान ही था। आज जब हम उस प्रकृति द्वारा पोÂिषत ज्ञान की बात करते हैं, तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। वह प्रकृति द्वारा पोÂिषत ज्ञान, हमारे शरीर विज्ञान का ज्ञान था। महर्षि सुश्रुत ने जंगलों में रहकर पूरे विश्व को शरीर विज्ञान का ज्ञान दिया था। विश्व को मेडिकल संस्कृत का ज्ञान भी महर्षि सुश्रुत ने ही दिया था। उस समय कोई डिग्री नहीं बाँटी जाती थी। वे जंगलों और पहाड़ों के बीच में रहते थे। आज हमारे सामने प्रिंग वॉटर का जो कॉन्सेप्ट है, उसी प्रिंग वॉटर को वे पीते थे। उसी को पीकर उन्होंने चिकित्सकीय प्रणाली का सृजन किया। बाँस की मदद से ऑपरेशन किए जाते थे। सबसे अधिक बाँस असम की तलहटी में होता है। उस पर भी आज चर्चा की जा रही है कि उस पर भी उनका अधिकार होना चाहिए।

अधिष्ठाता महोदय, जब वे स्वंय इन सब ज्ञानों से परिपूर्ण थे, तब भारत अपने आप में महान था। आप मुझे समय की बंदिशों में बाँध रहे हैं, इसलिए मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। जो चर्चा यहाँ

चल रही है, यदि उसको एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो उसका समाधान अपने आप ही निकल जाएगा। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Tripathi, thank you. You mentioned about the traditional knowledge of our indigenous people. हमें इस धरोहर को रखना है। यह जो बिल हमोर विनेंसेट पाला जी लाए हैं, उसके बारे में आपका कहना है कि यह बिल डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के जरिए और भी मजबूत होगा।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Shri Tripathi spoke well on the subject. He deserves to be congratulated by the House.

HON. CHAIRPERSON: Yes.

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Bill.

In fact, all the States of the Northeast are not having the benefit of the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution of India. Mizoram, Assam, Meghalaya and Tripura do have the benefit of the provisions of the Sixth Schedule. But other States in the Northeast, including Manipur, do not have the benefit of the Sixth Schedule. What I would like to say is that the provisions of the Sixth Schedule need to be amended as proposed by Shri Vincent Pala because of the changing economic and political situation. This demand has been made many years ago. But no amendment has been carried out so far.

I would like to stress one point here. In the case of Manipur, the Parliament enacted an Act called, the Manipur (Hill Areas) Autonomous District Councils Act, 1971. After the Act was enacted, the responsibility for the implementation of this Act has been entrusted to the State Government. Now it is purely under the State Government. Due to paucity of fund, the District Councils are not able to function properly. Moreover, the Sixth Schedule is not extended to the State of Manipur. But we are having six District Councils created under the 1971 Act and they have been created for the districts of Senapati, Churachandpur, Tamenglong, Chandel, Sadar Hills and Ukhrul. These six District Councils have more than 1,000 Primary Schools under them and these schools are to be looked after by these Councils. Then, forest management, health services and a number of other development activities also have been entrusted to these District Councils. But to our surprise, the Government of India has not given proper funding to these District Councils and they have been entrusted to the State Government. As we know, the States in the Northeast like Manipur, Nagaland etc. have very limited resources. We cannot mobilize funds for development activities and because of lack of funding from the Centre, infrastructure development for schools cannot happen and even school buildings have not been properly constructed till today. So, I would like to draw the attention of the hon. Minister of Home Affairs Shri Kiren Rijiju towards giving more funds to these six District Councils of Manipur. The Act is there, but fund is not there. That is the main problem.

Now, some States are having the benefit of the Sixth Schedule. Some States are having only Regional Councils and some States like Manipur are having local District Councils. But where should we take money for their developmental activities? Once the Central Government comes forward with certain specific policy and plan for the development of those States, which are not under the Sixth Schedule, then only they would be able to pick up the pace of developmental activities of their States with their counterpart States.

Further, I would like to make another point. Manipur has a border with Myanmar, which is a foreign country. We are facing a law and border problem there. Smuggling activities and communication problems are taking place there. We have six District Councils there. They have tried to ensure proper administration and development, but without proper funding, they cannot do border fencing and other important things. Recently, a number of smuggled goods including drugs had been seized. Unwanted elements are also there. All these are to be curbed. For this purpose, the State Government, the Local Self Government and the District Council should be strengthened. Only then, proper administration can be ensured.

Sir, last but not least, once again, I would like to stress about the border problem that we are facing. There is an influx of illegal immigrants taking place in Manipur. To handle this problem, the police or the Central Forces alone cannot do anything until and unless there is cooperation extended from the local people mobilised by the local Self Government, the District Council. In this regard, I would request the Central Government to convene a special meeting of all the District Council Chairmen to chalk out a programme to control these problems, which we have been facing. Only then, we can have a better and normal situation in our State.

In the end, once again I would like to draw the attention of the Central Government to look into the matter, which we have pointed out.

With these few words, I conclude. Thank you very much.

कुँवर भारेतन्द्र सिंह (बिजनौर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे से पूर्व वक्ता श्री निनोंग इरिंग जी ने ज्यादातर विषय पर प्रकाश डाल ही दिया है। मैं बहुत संक्षेप में कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं। यह उद्देश्यों और कारणों का कथन इसमें स्पष्ट दिया है कि छठी अनुसूची के अधीन आदिवासियों का रुढ़िजन्य जीवन का संरक्षण करने वाले विभिन्न उपबंधों के बावजूद यह अनुसूची कागजों तक सीमित रह गई। विभिन्न मंत्रों के ओदश, जो छठी अनुसूची के अधीन आदिवासियों को दी गई सैंवधानिक गारंटियों के पूर्णरूपेण प्रतिकूल है, आदिवासियों पर थोप जा रहे है। जिसके फलस्वरूप छठी अनुसूची के सैंवधानिक रक्षोपाय और प्रयोजन ह्रासमान हो रहे है।

माननीय, ये जो उद्देश्य है, ये कहीं न कहीं पूर हो नहीं पा रहे है। जैसे निनोंग एरिंग ने कहा, ऐसी सरल भाषा में, उन्होंने बेड़ सुंदर उदाहरण में बताया है कि यह एक शेर है, जिसके न दांत है और न पेंजे है। हम जो इसका उद्देश्य चाह रहे थे, वह तो माननीय हो नहीं पा रहा है। जनजातियों की नाजुक आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को सुरक्षित करना इस विधेयक का, यह जो प्राइवेट मेंबर बिल है, इसका उद्देश्य था। मगर क्या यह संभव हो पाएगा? इसमें पाला जी ने यह भी कहा है कि इसमें क्षेत्रीय संसाधनों पर, खान एवं खनिजों पर स्थानीय निकायों को अधिकृत किया जाए। उसमें जोड़ा गया है कि यह तभी संभव हो पाएगा, यदि विधान सभा की सहमति हो और राज्यपाल जी विशिष्Âट ओदशों से इसे जारी करें। अब इसमें पाला जी ने यह सुझाव रखा है कि इसमें चालीस से अधिक सदस्यों को बनाया जाए, इस समय तीस सदस्य है, इसे बढ़ा कर चालीस कर दिया जाए तो जो जिला परिषद है, उससे इनका यह मानना है कि इसमें बहुत सुधार आ जाएगा। मगर जो जमीनी स्थिति है, वह तो बहुत ही दयनीय है। अगर सबसे भ्रष्ट चुनाव कहीं हो रहा है तो वह यहीं है। सदन के जो सदस्य है, वे अविश्वास प्रस्ताव के बहाने बार-बार पसा वसूलते है। जब यह चुनाव होता है तो एक-एक वोट बड़ी मंहगी बिकती है। यह हम सब जानते है। हम सब इस बात से बहुत त्रस्त है। जब हम यह जान रहे है और पहचान रहे है, जब हम इस बात को अच्छी तरह से अनुभव किए हुए है कि मूल

से, चुनाव से ही भ्रष्टाचार इस सदन में व्याप्त है, अगर ऐसे सदन को हम खनिज का और खानों का अधिकार दे देते हैं तो फिर यह जो हम चाह रहे हैं, जो विषय हम चाह रहे हैं कि हम इससे अपने जनजातियों को, अपने आदिवासियों को, अपने पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, जो माननीय प्रधान मंत्री जी भी कह चुके हैं कि यह कहीं न कहीं हमारे विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, हम चाहते हैं कि वहां की जनजातियाँ अपने संसाधनों पर पुनः हावी हो जाएं, मान्यवर यह संभव नहीं हो पाएगा। यह फिर से उसी भ्रष्टाचार में उलझ जाएगा, कुछ ही लोगों का इससे लाभ हो पाएगा।

मान्यवर, सदस्यों और अध्यक्ष का जब तक हम सीधा व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन नहीं कराएंगे, तब तक यह चुनाव ऐसा ही रह जाएगा। अगर हम इस सदन से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जिला परिषद को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करें तो अध्यक्ष का चुनाव सीधा होना चाहिए। जिस प्रकार से दलबदलू कानून से हम अपनी सरकार को यहां पर विधान सभाओं में और लोक सभा में सुरक्षित करते हैं, इसी तरह से हमें किसी न किसी तरह से ज़िला परिषद में भी अध्यक्ष का जो सदन है, जिन लोगों ने अध्यक्ष को वोट दे कर बनाया है, उसे हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। मान्यवर, हम सबको अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही दो साल समाप्त होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव तत्काल आ जाता है। जैसे ही प्रदेश की सरकार बदलती है, वैसे ही अविश्वास प्रस्ताव एकदम से लाया जाता है। इसे भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे किया जाएगा? विषय यही है। यदि हम सही में चाहते हैं कि जो स्थानीय लोग है, उन्हें अपने संसाधनों पर अधिकार मिले, उन्हें अपना जो सामाजिक जीवन है, जो कि बहुत नाज़ुक है, जो उनका आर्थिक जीवन है, उनके खेतों में, उनके जीवन में हम बड़ी-बड़ी कंपनियां भेज रहे हैं, उनके वहां पर खनन का काम चल रहा है, उनके खेत उजड़ गए, जिन लोगों के खेतों के नीचे अरबों-करोड़ों रूपेय की खनिज पड़ी है, वे बेघर भूमिहीन मज़दूर हो जाते हैं। उनका सारा जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। हम चाहते तो हैं कि हम किसी भी प्रकार से इसे नियंत्रित करें। मेरा ऐसा मानना है कि यह तभी हो पायगा, जब हम एक ऐसी अविश्वास प्रक्रिया, जो यह अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया है, उसे हम इस प्रकार से संरक्षित करें, जैसे दल-बदल कानून विधान सभाओं और लोक सभा में लाया गया है, तभी हम यह कर पायेंगे।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि खास तौर से पूर्वोत्तर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और वह यह है कि जो वहाँ की मतदाता सूची है, वही दूÂिषत हो गयी है। मतदाता सूची में तमाम घुसैपठियों के नाम है। जिनका हम संरक्षण करने चले है, जिन जनजातियों का संरक्षण करने के लिए आज यहाँ हम चर्चा कर रहे है और उनकी चिन्ता कर रहे है, क्या हम ऐसे विधेयक को पारित करेक सच में उन्हें संरक्षित कर पा रहे है या हम यह पूरी सत्ता घुसैपठियों के हाथों में दे रहे है। ऐसे कानूनों के द्वारा हम उन घुसैपठियों के हाथों में वहाँ की खनिज और सारी सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा भी उन्हें सौंप रहे है। जब तक इस मतदाता सूची का नियमानुसार दृढ़ अनुपालन नहीं होगा, तब तक हम निश्चित रूप से ऐसे कदम को नहीं उठा सकेंगे। इससे हमारी जनजातियों के हाथ से उनके प्रदेश का, उनके खेतों का, उनका जीवन जो है, वह उनके हाथों से निकल जायगा। ये सारी बातें है। जनजातियों का जो वहाँ पर सन्तुलन है, जो उनकी जनसंख्या का सन्तुलन है, वह बिगड़ता जा रहा है। इस पर बड़ी गम्भीरता से ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जिस विÂश्वास को हम लेकर चले है, जिस उद्देश्य को हम लेकर चले है, वह उद्देश्य ही खत्म हो जायगा, वह नष्ट हो जायगा। मैं इस बात को कहकर अपना विषय समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : That is the beauty of democracy that you have different shades of opinion and we ventilate it democratically. Thank you, Bharatendra *ji*.

श्री हरिनारायन राजभर (घोसी) : मान्यवर, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके सम्बन्ध में विशÂेष बातें तो भाई शरद जी ने विस्तारपूर्वक अपने वक्तव्य में बतायी है। मैं कुछ अंश आपके सामने रखना चाहूँगा। विमुक्त जातियाँ, वनवासी यानी आदिवासी, ये आदिवासी जातियाँ आदि भारत की जातियाँ है, मगर हमारी व्यवस्था ने इनको इस परिस्थिति में छोड़ दिया है कि इनका विकास कहाँ तक होगा। एक तरह से डूँखार जानवरों के बीच रहने की इनकी व्यवस्था कर दी है। ऐसा आज भी है। देश कितना आगे जा रहा है, हम समाज के बारे में चिन्ता करते है। हम यह भी नारा देते है कि हमारा विकास-सबका विकास, मगर मैं देख रहा हूँ कि इस दौर और इस आधुनिक युग में आदिवासी जनजातियों का विनाश होता जा रहा है। आप कहीं भी जंगलों में गये होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ इनका निवास रहता है। आप यह भी देखते होंगे कि इनके साथी बाघ, शेर आदि जंगली जानवर रहते है। जो इंसान को खाने वाले जानवर होते है, उनके बीच में इनको छोड़ दिया गया है। मुझे पता नहीं कि कब तक इनके लिए व्यवस्था होगी। अभी तो ऐसा होता है कि एक तरफ बाघ सोया है और दूसरी तरफ आदिवासी जनजातियों के लोग सोये रहते है। इनके विकास के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय सभापति : राजभर जी, हमारे एक पूर्व सांसद पहले कहा करते थे कि सभ्यता जंगल से ही शुरू हुई है और इस 21वीं शताब्दी में सभ्यता वहीं पर भी शुरू होगी।

श्री हरिनारायन राजभर: मान्यवर, वह युग कब आएगा, हम उसी का इंतज़ार कर रहे है, आज भारत इसी निÂष्Âपक्षता का इंतज़ार कर रहा है। हम लोग इतनी ही बात करना चाहते है।

मान्यवर, सारी बातें आ गई है, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: राजभर जी, आपको पूरा समय मिलेगा। अभी छः बज चुके है। अगली बार जब हम यह सब्जैक्ट कंटीन्यू करेंगे, तब आप इस पर ओर बोलिये।

The House stands adjourned to meet again on Monday, the 24th July, at 11.a.m.

18.00 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, July 24, 2017/Shravana 2, 1939 (Saka).

*

*

*

*

*

*

* ग़द्दय ढ्ढड्ढहद्दढ्ढड्डड्ढड्ड.